उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ। (E-mail- ds01@upptcl.org)

संख्या : 45/एच0आर0डी0–05/उप्रपाट्राकालि–2023 दिनांक :05 अप्रैल, 2023

1. समस्त निदेशकगण,
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।

2. समस्त मुख्य अभियन्तागण,
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।

विषय :– सहकारी समितियों से कार्मिकों द्वारा लिए गये ऋण (Loan) की वसूली के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण आदेश संख्या 750–स0प्र0–11/पा0का0लि0/2023–02–स0प्र0/2023 दिनांक 24.03.2023 निर्गत किया गया है जिसके अनुसरण में उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निम्नवत् स्पष्ट किया जाता है :–

1. कार्यालय–ज्ञाप सं0–395–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/21, दिनांक 30.04.2021 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से प्रतिपादित की गई व्यवस्था आदेश निर्गमन तिथि से उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में भी प्रभावी होगी।
2. कार्यालय–ज्ञाप सं–395–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2021–02–काविनी/21, दिनांक 30.04.2021 के प्रस्तर–(ब) में उल्लिखित प्राविधानानुसार राज्य विद्युत परिषद द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद कर्मचारी सहकारी समिति लि0 के क्रय किये गये रू0 02 लाख के शेयर की धनराशि एवं उस पर अब तक देय लाभांश (Dividend) का आगणन कर उसकी सम्पूर्ण धनराशि बारह समान किस्तों में उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद कर्मचारी सहकारी समिति लि0 से प्राप्त कर कॉरपोरेशन के बैंक खाते में जमा किये जाने की कार्यवाही उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशा0)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 के स्तर से करते हुए, तद्नुसार उच्च प्रबन्धन को अवगत कराया जाये।
3. कार्मिकों द्वारा दिनांक 30.04.2021 से पूर्व लिये गये ऋण की वसूली हेतु सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सम्बन्धित सहकारी समिति को कार्मिको की सूची, जिनको पूर्व में आवंटित ऋण की वसूली अद्यतन शेष है, एक माह में तैयार कर उपलब्ध करायें।
4. सहकारी समिति द्वारा प्रेषित सूची में कार्मिक का नाम, उनके वर्तमान तैनाती स्थल, SAP ID, विगत माह का सकल वेतन एवं मासिक कटौती की दर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त सूचना हेतु सहकारी समिति सम्बन्धित कार्मिक अथवा उसके अधिष्ठान से सूचना प्राप्त कर सकेंगी।

5. कार्मिकों से शेष ऋण की कटौती 12 मासिक किस्तों में की जायेगी। यदि किसी कार्मिक की मासिक किस्त उनको देय सकल वेतन के 50% (पचास प्रतिशत) से अधिक होती है, तो उक्त प्रकरण में मासिक किस्त 50% (पचास प्रतिशत) तक ही रखी जायेगी तथा कटौती की अवधि तदनुसार बढ़ा दी जायेगी।

6. सहकारी समिति कार्मिकों की सूची मासिक किस्त की राशि का उल्लेख करते हुए अन्य समस्त विवरण सहित, सम्बन्धित कार्मिक के आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगी। किन्तु जब तक सहकारी समितियों द्वारा संशोधित किस्तों का आगणन कर सम्बन्धित कार्मिक के आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रेषित नहीं कर दिया जाता है तब तक उन कार्मिकों के वेतन से पूर्व में की जा रही कटौती को यथावत जारी रखा जायेगा।

7. वेतन का भुगतान ERP Software के माध्यम से होने के पश्चात् सम्बन्धित भुगतान इकाई द्वारा सहकारी समिति के मद में प्राप्त राशि का सम्बन्धित समिति के खाते में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा। इस प्रकार सहकारी समितियों के माध्यम से उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के कार्मिकों को दिनांक 30.04.2021 से पूर्व दिये गये ऋण को समाप्त कर दिया जायेगा।

8. कार्यालय–ज्ञाप सं0–395–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2021–02–काविनी/21 दिनांक 30.04. 2021 एवं इस क्रम में निर्गत स्पष्टीकरण आदेश के निर्गमन की तिथि के मध्य सहकारी समितियों के ऐसे बकायेदार सदस्य जो उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की सेवा से सेवानिवृत्त, पदच्युत, अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त, स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त अथवा दिवंगत हो चुके हैं, जिनके समस्त सेवा सम्बन्धी देयों का भुगतान उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा चुका है, के मामलों मे उक्त के दृष्टिगत समिति के बकाये ऋण की वसूली की जिम्मेदारी किसी भी स्थिति में उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की नहीं होगी। उक्त की प्रत्याप्ति सहकारी समितियां स्वयं अपने स्तर से करेंगी।

9. कार्यालय–ज्ञाप सं0–395–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2021–02–काविनी/21 दिनांक 30.04.2021 एवं इस क्रम में निर्गत स्पष्टीकरण आदेश के निर्गमन की तिथि के पश्चात् उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की सेवा से सेवानिवृत्त, पदच्युत, अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त, स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त अथवा दिवंगत होने वाले ऐसे कार्मिक जिन्होंने दिनांक 30.04.2021 से पूर्व किसी भी सहकारी समिति अथवा समितियों से उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी से सहमति (Undertaking) प्राप्त किये जाने के उपरान्त ऋण लिया हुआ है, के सेवा सम्बन्धी देयों के भुगतान हेतु सहकारी समितियों से अदेयता प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने की अनिवार्यता पूर्व की भाँति यथावत हो जायेगी।

10. स्पष्टीकरण आदेश के निर्गतोपरान्त कॉरपोरेशन के कार्मिकों के वेतन से ऋण की वसूली के लेखांकन का कार्य, जो कि कॉरपोरेट एकाउन्ट के पुष्टिकृत Head के माध्यम से पूर्व में किया जा रहा था, को पुनः प्रारम्भ किया जायेगा।

11. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत कर्मचारी सहकारी समिति लि0, शक्ति भवन (मुख्यालय) को शक्ति भवन परिसर में अस्थायी रूप से आवंटित किये गये कक्ष के आवंटन को कॉरपोरेशन कार्यहित में कॉरपोरेशन के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1642-सप्रवि-26/पाकालि/22-01-सप्रवि/2000 दिनांक 08.07.2022 द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा चुका है, को यथावत् निरस्त रखते हुए भविष्य में किसी भी दशा में किसी भी सहकारी समिति का कार्यालय शक्ति भवन परिसर में नहीं रहेगा और न ही भविष्य में इन्हें शक्ति भवन परिसर में स्थान का आवंटन किया जायेगा।

<u>संलग्नकः यथोपरि।</u>

भवदीय,

(राकेश प्रसाद)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्याः 45(i)- एच0आर0डी0-05/ पाट्राकालि-2023 तद्दिनांकः
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 के निजी सचिव।
3. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0/उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
4. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0।
5. सचिव, उ0प्र0 राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0।
7. कम्पनी सचिव, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

05.04.23
(राम सूरत)
उप सचिव (पारेषण-प्रथम)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या 395 -काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/2021-02-काविनी/2021 दिनांक 30 अप्रैल, 2021

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 23.03.2021 को सम्पन्न 165(21)वी बैठक में, सहकारी समितियों से कारपोरेशन कार्मिकों द्वारा लिये गये ऋण की वसूली हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा) की बाध्यता को वर्तमान परिवेश में समाप्त किये जाने सम्बन्धी लिये गये निर्णय के अनुपालन में निम्नवत् निर्देशित किया जाता हैं :-

(अ) परिषदादेश सं0 3448-N.G./SEB-IV-41-N.G./74 दिनांक 25.04.1975 तथा परिषदादेश सं0 2225-W.C./SEB(A.S.-XIX)/86-2-M/86 दिनांक 05.09.1986 के प्राविधानों को समाप्त करते हुये सहकारी समितियों को यह निर्देशित किया जाता है कि तत्काल प्रभाव से सहकारी समितियों से कारपोरेशन कार्मिकों द्वारा लिये जाने वाले ऋण की अदायगी के लिये कारपोरेशन किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं होगा। सहकारी समितियां तत्काल प्रभाव से कार्मिकों को स्वीकृत किये जाने वाले ऋण के सापेक्ष अपने स्तर से सीधे बैंक को Standing Instruction issue कर अथवा अन्य व्यवस्था के माध्यम से कार्मिकों के बैंक खातों से सीधे ऋण की वसूली सुनिश्चित कर सकते हैं।

(ब) परिषदादेश सं0 2225-W.C./SEB(A.S.-XIX)/86-2-M/86 दिनांक 05.09.1986 के माध्यम से तत्कालीन राज्य विद्युत परिषद द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत कर्मचारी सहकारी समिति लि0, शक्ति भवन (मु0) से क्रय किये गये रू0 02 लाख के शेयर की धनराशि एवं उस पर अब तक देय लाभांश (dividend) सहित कारपोरेशन में वापस प्राप्त कर लिया जाये।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

संख्या : 395-(I)-का0वि0नी0 एवं वे0प्र0-29/पा0का0लि0/2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0 पा0ट्रां0का0लि0/उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0/जल विद्युत निगम लि0।
3. प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
4. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं 2), उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0,लखनऊ।
6. अपर सचिव (प्रथम)/(द्वितीय)/(तृतीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. उप महाप्रबन्धक (लेखा-प्रशा0)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को उपरोक्त बिन्दु-(अ) व बिन्दु-(ब) के नैष्ठिक अनुपालन हेतु।
9. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत सेवा आयोग, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
10. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
11. सचिव, उ0प्र0 राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. उप सचिव (स0प्र0-लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
14. उ.प्र.पा.का.लि. एवं सहयोगी वितरण कम्पनियों के कार्मिकों को ऋण प्रदान करने वाली समस्त सहकारी समितियां।
15. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 23.03.2021 को सम्पन्न 165(21)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
16. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

(राकेश भट्ट)

अनु सचिव (का०वि०नी०)